"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2018 — श्रावण 8, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–37/2018/वाक/पांच(56). – राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अंतर्गत कार्यरत, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के संबद्ध कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदनाम पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के लिए नियुक्त करती है :–

सारणी

अ. क्रं.	अधिकारी का पदनाम (छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005) में विनिर्दिष्ट अनुसार	अधिकारी का पदनाम (छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017) में विनिर्दिष्ट अनुसार
(1)	(2)	(3)
1.	अपीलीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर अपर आयुक्त (अपील)
2.	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील)

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्रमांक एफ–10–37/2018/वाक/पांच(56). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–37/2018/वाक/पांच(56), दिनांक 24–07–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 24th July 2018

NOTIFICATION

No. F-10-37/2018/CT/V(56). – In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), Government hereby appoint the class of officer mentioned in the column No. (2) of the following table and functioning under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) as officer with corresponding designation in column (3) of the table for the purpose of said Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 :-

TABLE

S. No.	Designation of officer (as specified in Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005)	Designation of officer (as specified in Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017)
(1)	(2)	(3)
1.	Appellate Additional Commissioner, Commercial Tax	Additional Commissioner(Appeal) of State Tax
2.	Appellate Deputy Commissioner, Commercial Tax	Joint Commissioner (Appeal) of State Tax

2. This notification shall deemed to have come into force from 1st July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.